न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 45/2019
आरसीएमएस नम्बर– 2019/00114

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
किरण कागट, सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली		1 श्री परमानन्द स्मृति सेवा समिति, चण्डावल जरिये अध्यक्ष तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 30/07/19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 45/1990–91 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (11) दिनांक 14.03.1991 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 28.03.1991 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में सरपंच हैं। अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि है, जिसका व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के नाम पट्टा जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा नहीं हैं, गलत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियम 1961 के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम में एक आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। अतः औषधालय हेतु ग्राम के मुख्य सड़क मार्ग के आस–पास या अन्यत्र मौके के स्थान पर भूमि का आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण एवं नक्शा तैयार करने हेतु आदेश पारित किए। इस बाबत श्री नैन कमलेश द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खारिज़ किया गया। इसके पश्चात विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। चूंकि आवेदन पत्र के अनुरूप ही उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि थी, जिसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जबकि उक्त संस्था/समिति कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि भाई श्री परमानन्द स्मृति सेवा समिति, चण्डावल नगर द्वारा जरिये अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आयुर्वेदिक औषधालय का पट्टा समिति के नाम से जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 45/1990-91 कायम करते हुए नक्शा एवं मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए गए। इस सम्बन्ध में नेन कमलेश द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर आपत्ति पर सुनवाई की जाकर आपत्ति खारिज़ की गई तथा उसके पश्चात अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा के जरिये अप्रार्थी समिति के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि समिति के पक्ष में उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का स्वत्व का दस्तावेज ही नहीं था, जो पट्टा जारी कराने में सहायक सिद्ध हो सके। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी समिति के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 45/1990-91 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (11) दिनांक 14.03.1991 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 28.03.1991 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/09/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)